

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(500)एम.ई./ग्रुप-1/17

जयपुर, दिनांक 11 JUL 2022

आदेश

डॉ. महेन्द्र कुमार (मेरिट क्रमांक M-05/पिछड़ा वर्ग, जन्म तिथि 19.05.1986) को इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(150)एम.ई./ग्रुप-1/2013 दिनांक 25.01.2018 के द्वारा सहायक आचार्य, रेडियोडायग्नोसिस के पद पर मेडिकल कॉलेज, जयपुर में एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। जिसके क्रम में डॉ. महेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 19.07.2018 को कार्यग्रहण किया गया।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर के पत्र क्रमांक 36819/एफ/एमसी/ईजी/2018 दिनांक 31.12.2018 के अनुसार डॉ. महेन्द्र कुमार दिनांक 19.07.2018 को कार्यग्रहण करने के 03 दिवस पश्चात ही दिनांक 21.07.2018 से लगातार बिना सूचना एवं स्वैच्छा से राजकीय सेवा से अनुपस्थित रहे हैं। निरन्तर अनुपस्थित रहने पर मेडिकल कॉलेज, जयपुर ने डॉ. महेन्द्र कुमार को पत्र दिनांक 03.11.2018 एवं 20.11.2018 द्वारा तुरन्त कार्य पर उपस्थित होने व अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखा गया। तत्पश्चात इस विभाग के पत्र दिनांक 01.02.2019 द्वारा डॉ. महेन्द्र कुमार को लिखा गया कि "आप पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में आवश्यक रूप से अपने पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर इस विभाग को अवगत करावें अन्यथा परिवीक्षाकाल में आपकी सेवायें असंतोषजनक मानते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवही अमल में लायी जावेगी"।

डॉ. महेन्द्र कुमार द्वारा पदस्थापित स्थान पर उपस्थित नहीं होने एवं अनुपस्थिति के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर राजस्थान मेडिकल सर्विस (कॉलेजिएट ब्रांच) रूल्स, 1962 के नियम 27(1) का संदर्भ देते हुए इस विभाग के पत्र दिनांक 31.03.2022 द्वारा पुनः लिखा गया, परन्तु डॉ. महेन्द्र कुमार ने न तो कार्यभार ग्रहण किया और न ही कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

अतः राजस्थान मेडिकल सर्विस (कॉलेजिएट ब्रांच) रूल्स, 1962 के नियम 27(1) के अनुसार डॉ. महेन्द्र कुमार, सहायक आचार्य, रेडियोडायग्नोसिस, मेडिकल कॉलेज, जयपुर की परिवीक्षाकाल में सेवायें असंतोषप्रद होने पर इनकी सहायक आचार्य, रेडियोडायग्नोसिस के पद की सेवा एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती है।

आज्ञा से

(इकबाल खान)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
4. डॉ. महेन्द्र कुमार, सहायक आचार्य, रेडियोडायग्नोसिस मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
5. एसीपी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सोनी)

उप शासन सचिव